F. No. A-12024/1/2024-RR/

Dated:

Lady Hardinge Medical College

100 Glorious Years of Excellence

1916 - 2016

Filling up of vacancies in various posts by transfer on deputation in the Lady Hardinge Medical College & SSK Hospital, New Delhi.

Applications are invited from suitable candidates as per the criteria mentioned against posts in annexure -I, II, III, IV & V for filling up the existing vacancies by deputation basis:-

S.No	Name of the post	Level in pay matrix or pay scale	No. of Vacancies
1	**Technician EEG, EMG/NCV**	Level-6 (Rs. 35400-112400)	01
2.	**Radiotherapy Technologist**	Level-6 (Rs. 35400-112400)	04
3.	**Photographer**	Level -5 (Rs. 29200-92300)	01
4.	**Housekeeper**	Level-2 (Rs. 19900-63200)	01
5.	**Medical Lab. Technologist**	Level-6 (Rs. 35400-112400)	04

2. Interested applicants may send their applications through proper Channel in the enclosed proforma in duplicate to the undersigned within a period of one month from the date publication of this advertisement in the Employment News. Application received after the last date or otherwise incomplete are not likely to consider.
3. The pay of the selected officer will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training OM No. 2/29/92-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 and OM No. 2/8/97-Estt.(Pay-II) dated 11.03.1998 as amended from time to time.
4. The following papers/documents may also please be sent along with nomination.

i. **Statement of Bio-data in the prescribed Proforma (as per annexureVI) in the duplicate duly signed and forwarded through proper channel.**
ii. **Attested copies of the APAR dossiers for the last five years (attested on each page) by an Officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. Of India.**
iii. **Vigilance Clearance Certificate.**
iv. **Integrity Certificate.**
v. **A statement of major/minor penalty, if any, imposed on the officer during the last 10 years.**
vi. **Cadre clearance certificate.**

5. **The last date of submission of applications through proper channel for deputation to the said post will be one month from the date of publication of the advertisement in Employment News.**
6. The Competent Authority reserves the right of any amendment, cancellation and changes to this Advertisement as a whole or in part without assigning any reason.

Digitally signed by
GIAN SINGH THAKRAN
Date: 14-07-2025
11:12:19

SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER
LHMC & SSKH, New Delhi.

ANNEXURE-I

Technician EEG, EMG/NCV (01)

1.	Name of Post	**Technician EEG, EMG/NCV (General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.**
2.	Number of posts	**01 (One)**
3.	Pay Matrix Level	**Pay Matrix Level-6 (Rs. 35400-112400/-)**
4.	Eligibility	**Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research Institution.** **A.** (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department or (ii) With Six Years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level- 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix rendered in the parent cadre or department and **(b) Possessing the <u>Educational Qualifications</u> and <u>Experience</u> as mentioned below:-** **(i)** B.Tech. in Electronics and Electrical Communication engineering from a recognized University or Institute and one-year experience in Neuro Science Laboratory; or **(ii)** Three Years Diploma in Electronics and Electrical Communication Engineering or Neuro Electro Physiotherapy from a recognised University or Institute and two years experience in Neuro Science Laboratory.
5.	Period of Deputation	**Note 1:** The Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding **Fifty-six** years as on the closing date of receipt of applications.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी	2*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स तथा इलैक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरी में बी. टैक और न्यूरो साइंस प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव ; **अथवा** (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स तथा इलैक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरी या न्यूरो इलैक्ट्रो फिज़ियोथैरेपी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूरो साइंस प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।	आयु : लागू नहीं होता । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान के ऐसे अधिकारी– (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300/- रुपए) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलोजी विभाग के अध्यक्ष -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप-निदेशक - सदस्य ; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

की सेवा की है, और (ख) जो स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए. 12018/13/2019-एम.एच. II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 2020

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician EEG, EMG/NCV, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician EEG, EMG/NCV (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician EEG, EMG/NCV	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) B. Tech. in Electronics and Electrical Communication engineering from a recognized University or Institute and one-year experience in Neuro Science Laboratory ; or (ii)Three Years Diploma in Electronics and Electrical Communication Engineering or Neuro Electro Physiotherapy from a recognised University or Institute and two years experience in Neuro Science Laboratory.	Age : NA Edu. Qua. : NA	Two years	By deputation (including Short-Term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research Institution A.(i)holding analogous posts	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) comprising of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Head Of the Neurology Department, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

on regular basis in the parent cadre or department or (ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level -5 (Rs . 29200-92300/-) in the pay matrix rendered in the parent cadre or department and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for DR under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/13/2019-MH II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सा.का.नि.65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम मंत्रालय (समूह-घ) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उनका संबंध दफ्तरी चपरासी और सफाईवाला फराश के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

ANNEXURE-II

Radiotherapy Technologist (04)

1.	**Name of Post**	**Radiotherapy Technologist (General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial.**
2.	**Number of posts**	**04 (Four)**
3.	**Pay Matrix Level**	**Pay Matrix Level-6 (Rs. 35400-112400/-)**
4.	**Eligibility**	(i) **Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions:** (ii) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-); and (b) Possessing the **<u>Educational Qualifications</u>** and **<u>Experience</u>** as mentioned below:- 1. Class 12th Pass in Science from a recognised Board. 2.(a) Two years' post-graduate Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognissed Institution with infield training in radiotherapy and minimum one years of post-Diploma experience in an institute recognised by the government; or (b) Three years radiation therapy technologist Bachelor of Science degree course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-Degree experience in an Institute recognised by the government; or (c) Two years Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum four years of post-Diploma experience in a recognised Institute.
5.	**Period of Deputation**	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

2. Deputy Director, looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A-11018/18/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा विभाग में विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्
2. (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्।	8*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)।	चयन पद।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु निर्धारण करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम एक वर्ष का अनुभव; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिग्री के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों, दोनों के लिए)। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है), और इन दोनों के न हो पाने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा।

न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम चार वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रो न्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्(श्रेणी-I) जिन्होंने स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग या मंत्रालय द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का प्रशासन का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है): (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (ii) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रशासन का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/06/2022- एमएच-II]

अभिषेक पांडेय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 2025

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radiotherapy Technologist in the Radiotherapy Department of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Radiotherapy Technologist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay-matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Radiotherapy Technologist.	8* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not exceeding thirty years. (Relaxble for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Essential: 1. Class 12th Pass in Science from a recognised Board. 2.(a) Two years' post-graduate Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised Institution with infield training in radiotherapy and minimum one years of post-Diploma experience in an institute recognised by the government; or (b) Three years radiation therapy technologist Bachelor of Science degree course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-Degree experience in an Institute recognised by the government; or (c) Two years Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum four years of post-Diploma experience in a recognised Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the

	Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years (Both for direct recruits and promotees) Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Fifty percent by direct recruitment; (ii) Fifty percent by promotion failing which by Deputation (including short term contract), failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Junior Radiotherapy Technologist (Grade-I) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix and having successfully completed training of at least two weeks as prescribed by the Department or Ministry. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>Deputation (including short-term contract):</u> (a) (i) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organization or	Group 'B' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson; 2. Head of the Radiotherapy Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 4. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member. Group 'B' Departmental Promotional committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions : (ii) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the educational qualifications and experience as mentioned under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson; 2. Head of the Radio-therapy Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 4. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A-11018/06/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ANNEXURE-III

Photographer (01)

1.	Name of Post	**Photographer (General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.**
2.	Number of posts	**01 (One)**
3.	Pay Matrix Level	**Pay Matrix Level-5 (Rs. 29200-92300/-)**
4.	Eligibility	**Officers of the Central Government or State Government or Union territories Administrations or universities or recognized research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organizations:-** (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-) in the parent cadre or department; and **(b) Possessing the <u>Educational Qualifications</u> and <u>Experience</u> as mentioned below:-** (a) 12th Class pass from a recognised Board or institute; (b) Diploma course in Photography (minimum one year duration) from a Government recognised institute or university; and (c) Two years experience in Photography preferably in Medical Photography in a Government or recognized Hospital.
5.	Period of Deputation	**Note 1:** The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (**including short term contract**) shall not be exceeding **fifty-six** years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** Only Central Government or State Government employees shall be considered for absorption.

	3. Deputy Director Administration, Safdarjang Hospital -Member.	

[F. No. A-11018/25/2024- MH -II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, समूह 'ग', भर्ती नियम 1981 को, जहां तक उनका संबंध फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति: :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फोटोग्राफर	*03 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये/-)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से फोटोग्राफी (कम से कम 1 वर्ष की अवधि) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; और (ग) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में चिकित्सीय फोटोग्राफी का 2 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500- 81100 रुपये) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी के ही आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का प्रशासन कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए-11018/18/2024- एमएच-II]

अभिषेक पांडे, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 2025

G.S.R. 17.—the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Photographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** –(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady

Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Photographer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Photographer	*03 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the government servant up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial datefor determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) 12th Class pass from a recognised Board or institute; (b) Diploma course in Photography (minimum one year duration) from a Government recognised institute or university; and (c) Two years experience in Photography preferably in Medical Photography in a Government or recognised Hospital. **Note 1:**

						Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or universities or recognized research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,- (a)(i)holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column number (7). **Note1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** Only Central Government or State Government employees shall be considered for absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (forconsidering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

2. Deputy Director, looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A-11018/18/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा विभाग में विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्
2. (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

ANNEXURE-IV

Housekeeper.

1.	Name of Post	**Housekeeper (General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.**
2.	Number of posts	**01 (One)**
3.	Pay Matrix Level	**Pay Matrix Level-2 (Rs. 19900-63200/-)**
4.	Eligibility	**Officers under the Central or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector undertakings or University or recognised research institutions:-** **A.** (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) **with Three years regular service, level- 1 in the pay matrix (Rs 18000 -56900).** **(b) Possessing the Educational Qualifications and Experience as mentioned below:-** 12th pass from a recognized Board and three years experience in running hospital or Canteen by recognised institution.
5.	Period of Deputation	**Note 1:** The Period of deputation **(including short term contract)** including period of deputation **(including short term contract)** in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation **(including short term contract)** shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

****

नई दिल्ली,15 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक वे हाउसकीपर के पद से संबन्धित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में हाऊसकीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, हाऊसकीपर (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
हाऊसकीपर	04* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबन्धित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है| **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से कार्यरत अस्पताल या कैंटीन में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक सर्विदा सहित), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती।	**प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (18000-56900 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके

	अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविंदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति :- (1) उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली – अध्यक्ष (2) अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी - सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए.11018/03/2017–एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2019

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Housekeeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Housekeeper in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, of Delhi under Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Housekeeper (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Housekeeper	4* (2018) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep...	12^{th} pass from a recognised Board and three years experience in running Hospital or canteen by recognised Institution	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for direct recruitment	By deputation (Including short term contract) failing which direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made
(11)
Deputation (including short term contract) : (I) officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or University or recognised research Institution ;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with three years regular service, Level-1 , in Pay Matrix, (Rs. 18000-56900).

and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty –six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee: (1) Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College –Chairman (2) Section Officer, in-charge of Medical Education in Directorate General of Health Services –Member (3) Administrative Officer –Member	Not applicable.

[No. A.11018/03/2017-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

(केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 64.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन दिल्ली से बाहर (रेडियोग्राफर) भर्ती नियम, 1986 और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली (समूह "ग") परा-चिकित्सा तथा साधारण प्रवर्ग भर्ती नियम, 1993 को, जहां तक उनका संबंध रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

ANNEXURE-V

Medical Laboratory Technologist.

1.	Name of Post	**Medical Laboratory Technologist (General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial**
2.	Number of posts	**(04) Four**
3.	Pay Matrix Level	**Pay Matrix Level-6 (Rs. 35400-112400/-)**
4.	Eligibility	**Officer of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector undertakings or University or recognised research institutions:-** **A.** (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department (ii) Officials in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the present cadre or department. **(b) Possessing the <u>Educational Qualifications</u> and <u>Experience</u> as mentioned below:-** Bachelors degree in Medical Laboratory Science from a recognised University or Institute. **<u>Experience:-</u>** Two years experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from any recognised hospital or institution.
5.	Period of Deputation	**Note 1:** The department officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation **(including short term contract)** similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation **(including short term contract)** including period of deputation **(including short term contract)** in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation **(including short term contract)** shall be not exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

Med Lab Tech.

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **2. Desirable:** (i) One year experience of working in a Library of repute; and (ii) having working knowledge of computer application in the day to day functioning of Library.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on depuation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable

(12)		(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of: -		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Joint Secretary (Administration), Union Public Service Commission	- Chairman	
(2) Deputy Secretary (General), Union Public Service Commission	- Member	
(3) Under Secretary (Administration), Union Public Service Commission	- Member	

Explanatory Memorandum.- It is certified that there shall be no adverse effect on any person while giving retrospective effect to the recruitment rules in terms of rule 6 of this rule.

[F.No. 39021/03/2015-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

सा.का.नि. 164.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और,

(i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन (रक्त बैंक) और वरिष्ठ रक्त बैंक तकनीशियन के पद से है;

(ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी सहायक के पद से है; और

(iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, नैदानिक प्रयोगशाला भर्ती नियम, 1996 को,

सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्), वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) और मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	90* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.)

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री। **अनुभव:** किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु- नहीं अर्हताएं- नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा। अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर -5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किय हुआ है; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारी; और (ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु विचारन के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य 4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्)	9* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण**: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा प्रभाग के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्)	5* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है

(11)

प्रोन्नति:

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के तकनीकी अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर- 7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में दो वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारी; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करने के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति: अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य सफ़दरजंग अस्पताल के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्)	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति:

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-8 (रु. 47600-151100) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा प्रभाग के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य 4. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:	
1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा प्रभाग के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य 3. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/07/2017-एमएच-II खंड ii]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th May, 2019

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of, —

(i) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Laboratory Technician, Laboratory Technician (Blood Bank) and Senior Blood Bank Technician;

(ii) the Lady Hardinge Medical College and Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi Group 'C' posts Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Technical Assistant ; and

(iii) the Lady Hardinge Medical College and Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi Senior Technical Assistant for Clinical Laboratories Recruitment Rules ,1996,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Medical Laboratory Technologist, , Technical Officer (Medical Laboratory Technologist) ,Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technologist), Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technologist) and in Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Medical Laboratory Technologist, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in Column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, and level in the pay matrix, or pay scale**. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Medical Laboratory Technologist	90* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.	**Essential:** Bachelors degree in Medical Laboratory Science from a recognised University or Institute. **Experience:** Two years experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from any recognised hospital or institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age-No Qualifications-No	Two years for direct recruits and promotees	Twenty per cent by promotion failing which by deputation including short –term contract. Eighty per cent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Promotion : Junior Medical Laboratory Technologist in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with six years regular service in Level- 5 in the pay matrix (Rs 29200 – 92300) and have successfully completed training of two weeks in a laboratory as specified by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or University or recognised research institutions:- A.(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department or (ii) officials in the level -5 in the pay matrix (Rs 29200-92300) with six years regular service in the parent cadre or department ; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman 2. Head of the Laboratory Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member 3. Deputy Director Administration, in charge of	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Medical Education Section of Directorate General of Health Services -Member 4. Deputy Director –in –charge of Medical Education Division, Directorate General of Health Services -Member **Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation)consisting of:** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman 2. Head of the Laboratory Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member 4. Deputy Director-in-charge of Medical Education Division, Directorate General of Health Services -Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Technical Officer (Medical Laboratory Technologist)	9* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)
Promotion : Medical Laboratory Technologist of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hopital with five years regular service in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400) and have successfully completed training of two weeks in a laboratory as specified by the department. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee(for considering promotion)consisting of: 1. Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman 2. Head of the Laboratory Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi. -Member; 3 Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member; 4. Deputy Director-in-charge of Medical Education Division, Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technologist)	5* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted , Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix. (Rs. 47600-151100)	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract

(11)

Promotion:

Technical Officer (Medical Laboratory Technologist) of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with two years regular service in Level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the parent cadre or department and have successfully completed training of two weeks in a laboratory as specified by the department.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions:-

A.(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) officials in level -7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the parent cadre or department;

and

(B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

Bachelors degree in medical laboratory science from a recognised University or institute.

Experience:

Three years experience as medical laboratory technologist or laboratory technologist in any recognised hospital or institution.

Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:- Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 :-The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee(for considering of promotion)consisting of: (1) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman (2) Head of the Laboratory Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member (3) Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member (4) Deputy Director-in-charge of Medical Education Division, Directorate General of Health Services - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation(including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technologist)	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By promotion

(11)
Promotion: Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technologist) of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with two years regular service in level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600- 151100) in the parent cadre or department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more

than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:		Consultation of Union Public Service Commission is necessary.
1. Chairman or Member, The Union Public Service Commission	-Chairman	
2. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	-Member	
3. Deputy Director General in charge of Medical Education Division, Directorate General of Health Services	-Member	
4. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital	-Member	
Departmental Confirmation committee (for considering confirmation)consisting of:		
1. Joint secretary, Ministry of Health and Family Welfare	-Chairman	
2. Deputy Director General in charge of Medical Education Division, Directorate General of Health Services	-Member;	
3. Additional Medical superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital	-Member.	

[F. No. A-12018/07/2017-MH-II pt ii]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2019

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध **कलेक्टिंग सरकार, छंटाईकार, द्वितीय श्रेणी जमादार, दफ्तरी, वार्ड अटेंडेंट, महिला अटेंडेंट/अटेंडेंट, दरवान/चौकीदार/पहरेदार, भंडार सहायक, नमूना संग्राहक, औषध वाहक, चपरासी, मज़दूर, सफाईवाला, क्लीनर, माली, पंपमैन** के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में **बहु-कार्य कर्मचारिवृंद** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, **बहु-कार्य कर्मचारिवृंद** (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो उक्तअनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

ANNEXURE-VI

Lady Hardinge Medical College

100 Glorious Years of Excellence

1916 - 2016

BIO DATA PROFORMA

NAME OF THE POST APPLIED FOR-

1. **Name (In Block Letters):-**	
2. **Address (In Block Letters):-**	
3. **Date of Birth (in Christian era):-**	D D M M Y Y Y Y
4. **Date of retirement under Central Govt. rules**	
5. **Educational Qualifications**	**Educational Qualifications Possessed by the Officer:**

6. Experience

Exp. Required	Exp. Possessed by the Officer
i) Essential 1)	
2)	
3)	

7. Please state clearly whether in the light of Entries made by you above, you meet the Requirements of the post.	

8. Details of employment, in chronological order, enclose a separate sheet, duly authenticate by your signature, if the space below is insufficient:-

Office/Instt./ Organization	Post Held	From	To	Scale of Pay	Name of duties & basic pay
1.					
2.					
3.					
4.					

9. Nature of present employment (Ad-hoc/temp./permanent/quasi-permanent)	
10. In case present employment held on deputation please state: -	
a) The date of initial appointment: -	
b) Period of appointment on deputation: -	
c) Name of the parent office/organization: -	
11. Additional details about present employment:	
12. Are you in a revised scale of pay? If yes, the date from which date the revision took place and also indicate the pre-revised scale.	
13. Total emolument per month drawn now:	
14. Additional information, if any, which would you like to mention for your suitability for the post, enclosed a separate sheet, if the space is insufficient.	
15. Whether belongs to SC/ST: -	
16. Remarks: -	

Signature of Candidate

Date: -
Place: -

Name: - ______________________
Address: - ______________________
Tel. No: - ______________________